



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042026-271859  
CG-DL-E-16042026-271859

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]  
No. 260]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2026/चैत्र 26, 1948  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2026/CHAITRA 26, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 284(अ).—केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी दूरसंचार उपकरण के लिए निम्नलिखित पुनरिक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्रम संख्या	पुनरिक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 40162602 आवश्यक अपेक्षाएँ

	सिम
2.	टी ई सी 34732602 आवश्यक अपेक्षाएँ आईपी सुरक्षा उपकरण

2. इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए आवश्यक अपेक्षाओं हेतु विद्यमान तथा पूर्वोक्त पुनरीक्षित मानकों का समवर्ती संचालन अनुज्ञात रहेगा, जिसके पश्चात मात्र पुनरीक्षित मानक लागू रहेंगे।

[फा. सं. 24-03/2025-एसडी/टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**  
**(Department of Telecommunication)**  
(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2026

**G.S.R. 284(E).**— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunication Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: -

Sl. No.	Number and name of revised standards
(1)	(2)
1.	TEC 40162602 Standard for Essential Requirements SIM
2.	TEC 34732602 Standard for Essential Requirements IP Security Equipment

2. The existing and the above revised standard for essential requirements shall remain in force concurrently for a period of ninety days from the date of publication, after which, only the revised standards shall be applicable.

[F. No. 24-03/2025-SD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042026-271858  
CG-DL-E-16042026-271858

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2026/चैत्र 26, 1948

No. 261]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2026/CHAITRA 26, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 285(अ).—केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी दूरसंचार उपकरण के लिए निम्नलिखित पुनरिक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्रम संख्या	पुनरिक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 73070:2025 वर्गीय अपेक्षाएँ इलेक्ट्रॉनिक लोकेटर प्रणाली
2.	टी ई सी 48141:2025 परीक्षण निर्देशिका सर्वर
3.	टी ई सी 49121:2025 परीक्षण निर्देशिका

	यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट
4.	टी ई सी 87081:2025 परीक्षण निर्देशिका ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के लिए स्पलाइस क्लोज़र
5.	टी ई सी 91021:2025 परीक्षण निर्देशिका क्वांटम यादृच्छिक संख्या जनरेटर
6.	टी ई सी 66111:2025 परीक्षण निर्देशिका एसएमपीएस आधारित विद्युत संयंत्र
7.	टी ई सी 49021:2025 परीक्षण निर्देशिका इंटरनेशनल प्राइवेट लीड सर्किट ट्रैफिक लॉफुल इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम
8.	टी ई सी 48041:2025 परीक्षण निर्देशिका ब्रॉड बैंड रिमोट एक्सेस सर्वर

[फा. सं. 24-03/2025-एसडी/टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**  
**(Department of Telecommunication)**  
(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th April, 2026

**G.S.R. 285(E).**—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunication (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Sl. No.	Number and name of revised standards
(1)	(2)
1.	TEC 73070:2025 Generic Requirements Electronic Locator System
2.	TEC 48141:2025 Test Guide Server
3.	TEC 49121:2025 Test Guide Unified Threat Management
4.	TEC 87081:2025 Test Guide Splice Closure for Optical Fibre Cables
5.	TEC 91021:2025 Test Guide Quantum Random Number Generator
6.	TEC 66111:2025 Test Guide SMPS Based Power Plants
7.	TEC 49021:2025 Test Guide International Private Leased Circuit Traffic Lawful Interception and Monitoring System
8.	TEC 48041:2025 Test Guide Broadband Remote Access Server

[F. No. 24-03/2025-SD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General